



संख्या - ७२/भाविधि/कुसका/2021/582/2020
दिनांक : २४ जनवरी, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-३, उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक 15 जनवरी, 2021 द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकोष्ठ की स्थापना कर नीति में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत उनका संचालन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अतः शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में मा० कुलपति जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विश्वविद्यालय में प्रकोष्ठ गठित करते हुए उनके संचालन हेतु निम्नवत् शिक्षक नामित किये जाते हैं:-

क्रम	प्रकोष्ठ का नाम	प्रकोष्ठ के कार्य	मा० कुलपति जी द्वारा नामित शिक्षक
1.	उद्योग अकादमिक एकीकरण एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ (Industry-Academia Integration and skill Development Cell)	<ul style="list-style-type: none"> • माध्यमिक, पोलीटेक्निक, आई.टी.आई. के साथ उच्च शिक्षा का समन्वय स्थापित करना। • व्यवसायिक एवं कौशल के क्षेत्रों की पहचान करना। • व्यवसायिक एवं कौशल शिक्षा के प्रायोगिक भाग/इंटर्नशिप के लिये MoU करना। • कौशल विकास के लिये रथानीय उद्योगों के साथ मिलकर पाठ्यक्रम तैयार करना। • स्थानीय व्यवसायिक एवं कौशल शिक्षा के क्षेत्रों से छात्रों को अवगत कराना। • छात्रों ऑनलाइन व्यवसायिक एवं कौशल शिक्षा कोर्स करने के लिये मदद करना। • क्षेत्रीय उद्योगों/संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करना। • क्षेत्रीय उद्योगों/संस्थाओं संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर MoU करना। • क्षेत्रीय उद्योगों/संस्थाओं की पहचान कर अध्ययनरत विद्यार्थियों को इंटर्नशिप हेतु उनमें भेजना। • संस्था के समझौता-ज्ञापन (MoU) का ड्राफ्ट तैयार करना। • संस्था के हित में विभिन्न प्रकार के समझौता-ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करना। • समझौता-ज्ञापन (MoU) की क्रियाशीलता सुनिश्चित करना। 	1- प्रो० सैयद हैदर अली, संकायाध्यक्ष-छात्र कल्याण एवं विभागाध्यक्ष- व्यवसाय प्रशासन 2- डॉ नलिनी मिश्र, सहायक आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग। 3- डॉ ऊधम सिंह, सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग। 4- डॉ मनीष कुमार- सहायक आचार्य, वाणिज्य विभाग।



خواجہ میون الدین چشتی لینگو ٹکنالوژی، پاکھنڈو، اتر پردیش (ہندوستان)
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow, U.P. (India)

U.P. STATE GOVERNMENT UNIVERSITY
 (Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of the UGC Act, 1956 & B.Tech Approved by AICTE)

<p>2. ऑनलाइन शिक्षा एवं LMS प्रकोष्ठ (Online Education and LMS Cell)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • संस्था में उ0प्र0 ऑनलाइन शिक्षा नीति के अनुरूप विभिन्न कार्य करना। • विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रमों से छात्रों को अवगत करना तथा उसके लिये उन्हें प्रेरित करना। • संस्था का LMS तैयार कर उसका संचालन सुनिश्चित करना। • संस्था के समर्त कार्यालयी कार्यों को डिजिटल माध्यम से कराना। • पुस्तकालय में प्री-लोडेड टैब्स उपलब्ध करवाना। • संस्थान में ई-लर्निंग पार्क की स्थापना करवाना। • अपने क्षेत्रान्तर्गत अथवा संस्था के अंदर पी.पी.पी के आधार पर ई-सुविधा केन्द्र की स्थापना करना, जिससे छात्रों को न्यूनतम दर पर 24X7 कम्प्यूटर एवं इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हो सके। • ई-सुविधा केन्द्र के विभिन्न कार्यों की दर सुनिश्चित करना (कैन्टीन की तरह) जिससे छात्रों को शोषण से बचाया जा सके। • ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के क्रेडिट ट्रांसफर में छात्रों की मदद करना। 	<p>1— प्रो0 संजीव कुमार त्रिवेदी, विभागाध्यक्ष— अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय (संविदा)।</p> <p>2— डॉ सौबान सईद— पुस्तकालय प्रभारी</p> <p>3— डॉ मज़हर खालिक, प्रभारी—आई.टी. सेल</p> <p>4— डॉ तनु डंग, सहायक आचार्य— पत्रकारित एवं जन संचार विभाग।</p>
<p>3. शिक्षक प्रशिक्षण प्रकोष्ठ (Teachers' Re-skilling Cell)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • शिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम का वार्षिक कैलेण्डर तैयार कराना। • शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। • शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम से अवगत कराना। • भविष्य में प्रयोग होने वाली शिक्षण तकनीकी से शिक्षकों को अवगत कराना। 	<p>1— प्रो0 मसलद आलम, संकायाध्यक्ष— कला एवं मानविकी</p> <p>2— प्रो0 एहतेशाम अहमद, संकायाध्यक्ष — वाणिज्य।</p> <p>3— प्रो0 चन्दना डे, संकायाध्यक्ष— सामाजिक विज्ञान</p> <p>4— प्रो0 एस0 एस0 ए0 अशरफी, संकायाध्यक्ष — विज्ञान</p>



**خواجہ مین الدین چشتی لینگو اونیورسٹی جو بیوری ہائیکمشن، اتر پردیش (ہندوستان)
ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)**

U.P. STATE GOVERNMENT UNIVERSITY
(Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of the UGC Act, 1956 & B.Tech Approved by AICTE)

<p>4. अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ (Research Development Cell)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • उच्च गुणवत्ता हेतु निशा-निर्देश तैयार करना। • शिक्षकों/विद्यार्थियों को शोश योजना कानून में गढ़व करना। • विभिन्न प्रकार की शोश अनुसंधान योजनाओं वे शिक्षकों/विद्यार्थियों को अवगत करना। • शोश हेतु उद्योगों/अन्य शिक्षण रांगठानों के साथ अनुलधन करना। • राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हिपशीय शोध करना। • शोध हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करना। 	<p>1- प्रो० एहतेशम अहमद, रांकायाध्यक्ष। 2- डॉ० प्रियंका, सहायक आचार्य, यूह विज्ञान पर्यावरणक- पी.एच०डी० 3- डॉ० कुआ नक्वी, सहायक आचार्य- व्यवसाय प्रशासन विभाग। 4- श्री राहुल कुगार मिश्र, सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग।</p>
<p>5. संरथागत विकास योजना प्रकोष्ठ (Institutional Development Plan (IDP) Cell)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • संरथा के लघु एवं दीर्घ उद्देश्यों (Annual, Five year plan upto 15 years) पर आधारित "संरथागत विकास योजना" तैयार करना। • संरथा की IIC स्थापित करना। • भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप संरथा का IIC पर पंजीकरण सुनिश्चित करना तथा उसके अनुरूप कार्य करना। • संरथा का ARIIA में प्रतिभाग सुनिश्चित करना। • संरथान, शिक्षक एवं छात्र मूल्यांकन के लिये नीति तैयार करना तथा उसके अनुरूप सतत मूल्यांकन करना। • संरथा का NIRF में प्रतिभाग करना। 	<p>1- प्रो० रौयद हैदर अली, रांकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष व्यवसाय प्रशासन 2- डॉ० रुविता सुजय चौधरी, विषय प्रभारी- पत्रकारिता एवं जन संचार 3- डॉ० मनीष कुमार, सहायक आचार्य वाणिज्य विभाग। 4- सुश्री अनम फातिमा, सहायक आचार्य कम्प्यूटर विज्ञान</p>
<p>6. एक्टिविटी क्लब (Activity Club)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • संरथा में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों आयोजित करना तथा संरथा के छात्रों क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हो रही गतिविधियों में प्रतिभाग करने के लिये प्रेरित करना। • संरथा के छात्रों को सामुदायिक सेवा के लिये प्रेरित करना। • सामुदायिक सेवा हेतु वार्षिक कैलेण्डर तैयार करना। 	<p>1- डॉ० प्रवीण कुमार राय, सह आचार्य, भूगोल विभाग। 2- डॉ० नीरज शुक्ल, राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ। 3- डॉ० बुशरा अलवेरा-एन०सी०सी० 4- डॉ० श्वेता शर्मा, सहायक आचार्य (संविदा) पर्यावरण विज्ञान</p>



خواجہ میون الدین چشتی لینگوچ تج یو بیورسٹی، لکھنؤ، اتر پردیش (ہندوستان)
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow, U.P. (India)

U.P. STATE GOVERNMENT UNIVERSITY
(Recognised Under Section 2(F) & 12(B) of the UGC Act, 1956 & B.Tech Approved by AICTE)

		<ul style="list-style-type: none">● संरथान द्वारा किरी गांव को गोद लेकर उसके विकास में मदद करना।● पर्यावरण जागरूकता एवं संरक्षण अभियान चलाकर विद्यार्थियों/स्थानीय लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना।● संरथा की वार्षिक ग्रीन ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर उसे वेबसाइट पर प्रदर्शित करना।● संरथा के अंदर पर्यावरण संरक्षण (रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अक्षय उर्जा, वर्मीकम्पोस्ट, जल संरक्षण, पेपर री-साइकिलिंग आदि) के उपाय करना।● संरथा के विद्यार्थियों के लिये भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करना।● विद्यार्थियों के भ्रमण के लिये विभिन्न सरकारी/ गैर-सरकारी योजनाओं से छात्रों को अवगत कराना तथा उसका लाभ लेना।	
7.	भारतीय भाषा, संस्कृति एवं कला प्रकोष्ठ	<ul style="list-style-type: none">● क्षेत्रीय संस्कृति एवं कला की पहचान कर उन पर कार्यक्रम आयोजित करना।● क्षेत्रीय संस्कृति एवं कला को पाठ्यक्रम से जोड़ना।● क्षेत्रीय राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृति एवं कला महोत्सवों में छात्रों को प्रतिभाग कराना।● क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृति एवं कला महोत्सव आयोजित करना।● भारतीय भाषा विकास क्लब की स्थापना करना तथा इससे विभिन्न भारतीय भाषा जानने वाले शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को जोड़ना।● छात्रों की विभिन्न भारतीय भाषाओं को ऑनलाइन/ ऑफलाइन माध्यम से सीखने में मदद करना।	<p>1— प्रो० मसउद आलम, संकायाध्यक्ष कला एवं मानविकी</p> <p>2— डॉ० ततहीर फातिमा, सह आचार्य, गृह विज्ञान</p> <p>3— डॉ० पूनम चौधरी, विषय प्रभारी— इतिहास विभाग।</p>



خواجہ معین الدین چشتی لینگو لینجی یونیورسٹی، لکھنؤ، اتر پردیش (ہندوستان)
ख्वाजा मुहम्मदनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

U.P. STATE GOVERNMENT UNIVERSITY
(Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of the UGC Act, 1956 & B.Tech Approved by AICTE)

8.	अंतर्राष्ट्रीय छात्र सहायता प्रकोष्ठ (International students cell)	<ul style="list-style-type: none"> अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की सहायता करना। सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को दी जा रही सुविधाओं से अवगत कराना। अध्ययन वीजा दिलाने में मदद करना। वेबसाइट पर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिये FAQ अपलोड कराना। 	1— प्रो० सैयद हैदर अली, संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण। 2— डॉ० रज़ा अब्बास हैदरी, सहायक आचार्य— कम्प्यूटर विज्ञान विभाग। 3— श्री सैयद काज़िम असगर रिज़वी, सहायक आचार्य— पत्रकारिता एवं जन संचार विभाग।
9.	दिव्यांग सहायता एवं वंचित समूह सहायता योजना प्रचार-प्रसार प्रकोष्ठ (Cell for differently abled students and SEDGs)	<ul style="list-style-type: none"> वंचित समूहों को संस्था की विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभाग करने के लिये प्रेरित करना। वंचित समूहों के लिये हेल्प-डेस्क की स्थापना करना। वंचित समूहों के लिये चल रही योजनाओं से उन्हें अवगत कराना तथा योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में उनकी मदद करना। दिव्यांगों के लिये हेल्प-डेस्क की स्थापना करना। संस्था में दिव्यांग आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना। दिव्यांगों के लिये आवश्यक कार्य कराने हेतु संस्था प्रमुख को अवगत कराना। दिव्यांगों के लिये चल रही योजनाओं से उन्हें अवगत कराना तथा योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में उनकी मदद करना। 	1— डॉ० मुशीर अहमद, सह आचार्य — व्यवसाय प्रशासन विभाग। 2— डॉ० रामदास, सहायक आचार्य — शिक्षाशास्त्र। 3— डॉ० लक्ष्मण सिंह, सहायक आचार्य — इतिहास विभाग
10.	मेन्टरिंग एवं मनोविज्ञानिक परामर्श प्रकोष्ठ (Mentoring Counselling Cell)	<ul style="list-style-type: none"> संस्था के छात्रों के लिये मनोवैज्ञानिक परामर्श कार्यशालायें आयोजित करना। मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जूझ रहे छात्रों मनोवैज्ञानिक मदद देना तथा उनके परिवार को अवगत कराना। प्रत्येक छात्र के लिये प्रवेश के समय एक शिक्षक को मेन्टर नियुक्त करना। 	1— प्रो० चन्दना डे, संकायाध्यक्ष। 2— डॉ० दोआ नकवी, सहायक आचार्य— व्यवसाय प्रशासन। 3— डॉ० मोहम्मद शारिक, विषय प्रभारी— शारीरिक शिक्षा।



	<ul style="list-style-type: none"> • संस्था की गैंडर – मैन्टी पॉलिसी तैयार करना। • छात्रों को व्यवसायिक सहायता देना। • छात्रों के व्यवितत्त विकास में मदद करना। • छात्रों में जीवन कौशल एवं व्यवितत्त विकास के लिये कार्यक्रम आयोजित करना। 	
--	--	--

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्बन्धित शिक्षक उपरोक्त प्रकोष्ठ में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत उनका संचालन करें तथा सम्बन्धित शिक्षक किसी अन्य शिक्षक का सहयोग अपने स्तर से भी ले सकते हैं। इन प्रकोष्ठों में किये जाने वाले कार्यों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।

उपरोक्त प्रकोष्ठों में नामित शिक्षकों का कार्यकाल 01 वर्ष अथवा अग्रिम आदेशों के लिए होगा।

Abdullah
(अशोक कुमार अरविन्द)
कुलसचिव।

संख्या - 72 / भाविवि / कुसका / 2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, कुलपति कार्यालय को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
3. परीक्षा नियन्त्रक।
4. उप कुलसचिव।
5. समरत संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष एवं विषय प्रभारी।
6. समरत आचार्य / सह आचार्य / सहायक आचार्य का इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार अवगत होते हुए समय-समय पर सम्बन्धित शिक्षक द्वारा उन्हें अपेक्षित सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।
7. समरत अतिथि व्याख्याता।
8. वेबमास्टर को वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
9. समरत नोटिस बोर्ड हेतु।
10. गार्ड फाइल।

*Jmsh.
20/11/2021*
सहायक कुलसचिव।